न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.P.S.-432/2015

C.I.S.-616/2015

01/09/2022	वादी की ओर से हाजरी दी गई है। वादी तथा प्रतिवादी सं०—1 के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं०—1 के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल आवेदन पत्र को संचालित कर निवेदन करते है कि पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 06/06/2018 को वापस किया जाए तथा वाद में प्रतिवादी सं०—1 को संघर्ष करने का आदेश दिया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेपर प्रकाशन किया गया तथा इसके पश्चात् एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। वादी की गवाही कराई गयी तथ वाद बहस हेतु लंबित है। अत: प्रतिवादी सं०—1 जानबूझकर वाद में देरी करना चाहते है अत: Heavy Cost के साथ आवेदन स्वीकृत किया जाए। वादी तथा प्रतिवादी सं०—1 के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद एकपक्षीय बहस हेतु चला आ रहा है तथा एकपक्षीय आदेश दिनांक 06/08/2018 का पारित है फिर भी प्रतिवादी सं०—1 वाद में संघर्ष करना चाहते है, तथा संघर्ष करने हेतु अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अत: प्रतिवादी सं०—1की ओर से दाखिल आवेदन पत्र मो० 3500/- खर्चें पर स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी सं०—1 खर्चे की राशि वादी को उपलब्ध करावें। खर्चे की राशि जमा कराने के पश्चात् पारित आदेश प्रभावी होगा। वाद दिनांक 13.10.22 वास्ते प्रस्तुत करें। अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी